संख्याः 357 /XXIV-3/2005

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांक 20 दिसम्बर,2005

विषयः राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय चौनलिया, जनपद अल्मोड़ा के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः नियोजन–4/34597/ रा0ग0न0वि0/2005–06 दिनांक 30–9–2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय चौनलिया, जनपद अल्मोड़ा के भवन निर्माण हेतु गठित आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 / व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित रू0 700.35 लाख पर वित्तीय एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में रू0 100.00 लाख (रुपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि को, प्रश्नगत योजना में शासनादेश संख्याः 630/XXIV–2/2005 दिनांक 29–4–2005 द्वारा आपके नियंत्रण पर रखी गयी धनराशि रू0 600.00 लाख में से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

(1) प्रश्नगत निर्माण कार्य उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, अल्मोड़ा इकाई अल्मोड़ा द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

(2)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(3)- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(4)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(5)- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(6) - कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(7)- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।

(8)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(9)- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जानी वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(11)- निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

2- उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहाँ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखा शीर्षक -4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा - 202-माध्यमिक शिक्षा - आयोजनागत -

16-राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवनों का निर्माण—24— वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4—	यह आदेश वित्त विभागके अशासकीय संख्या— 82/ वि0अनु0— 3/2005 दिनॉक 16—12—2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

संख्याः 557 (1) /XXIV-3/2005 तद्‌दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तरॉचल, देहरादून।
2— निजी सचिव,मा0 मुख्य मंत्री जी।
3— निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4— जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
5— कोषाधिकारी, अल्मोड़ा ।
6— मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग—4 (घोषणा अनुभाग) ।
7— मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
8— परियोजना प्रबन्धक,उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम, अल्मोड़ा ईकाई अल्मोड़ा।
9— बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
10— वित्त अनुभाग—3/ नियोजन प्रकोष्ठ।
11— कम्प्यूटर सेल(वित्त विभाग)
12— एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव